

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2023

हरदा, दिनांक .....

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 29	12, 13, 14, 15	16, 17, 25
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	1, 2, 8	5, 18, 19	24, 31
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	21, 22, 23, 24	10, 11, 26, 27	3, 10

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2023

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2023

हरदा, दिनांक 16.06.2023

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	29, 30	13, 15	16, 17, 18
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	2, 9, 23	19, 20	24, 28
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 16	6, 27, 30	3, 7, 10

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2023

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2023

हरदा, दिनांक 19.04.2023

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2023	जून 2023
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	05, 07	17, 18
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	14, 21	4, 11
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	20, 28	25, 29

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2023	जून 2023
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2023	जून 2023
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	05, 07, 14	17, 18, 25
02	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	20, 21, 28	04, 11, 29

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2023

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2023  
2023

हरदा, दिनांक 01.03.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मार्च 2023	अप्रैल 2023
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	26, 30	23, 30
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	12, 18	2, 4
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	19, 22	7, 9, 16
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	5, 7, 9	14, 15, 22

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मार्च 2023	अप्रैल 2023
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ. सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मार्च 2023	अप्रैल 2023
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	12, 22, 26, 30	14, 15, 16, 30
02	श्रीमती ज्योति बड़करे,	5, 7, 9, 18, 19	2, 4, 7, 9, 22, 23

	जे.एम.एफ.सी., टिमरनी		
--	-------------------------	--	--

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)



## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 22.12.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2023	फरवरी 2023
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	21, 22	26
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	29	12
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	01, 08	05
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 26	18, 19

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2023	फरवरी 2023
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ. सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2023	फरवरी 2023
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन
02	श्रीमती ज्योति बड़करे,	—	—

	जे.एम.एफ.सी., टिमरनी		
--	-------------------------	--	--

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया व टिमरनी को व्हाट्सअप, ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 01.12.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	25
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	17
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	18
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	04, 11

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	सभी अवकाश के दिन
02	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	—

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में

अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 03.11.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	नवम्बर 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	19, 20
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	13
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	27
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	06, 08

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	नवम्बर 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	नवम्बर 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	सभी अवकाश के दिन
02	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	—

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 19.09.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 16, 21, 22
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	23, 24, 25, 26, 30
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	06, 07, 08, 09, 10
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	02, 03, 04, 05

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	सभी अवकाश के दिन

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अक्टूबर 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
02	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)



## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 20.07.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अगस्त 2022	सितम्बर 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	28, 31	17, 18
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	07, 08, 09, 12	11
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	14, 15	04
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	19, 20, 21	25

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अगस्त 2022	सितम्बर 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	07, 08, 09, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 31	04, 11, 17, 18, 25

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अगस्त 2022	सितम्बर 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	07, 08, 09, 12, 14, 15	04, 11
02	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	19, 20, 21, 28, 31	17, 18, 25

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2022  
2022

हरदा, दिनांक 03.06.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जून 2022	जुलाई 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	05	31
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	12	16, 17
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	26	24
04.	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी., हरदा	18, 19	03, 10

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जून 2022	जुलाई 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	05, 12, 18, 19, 26	3, 10, 16, 17, 24, 31

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जून 2022	जुलाई 2022
01	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	05, 12, 18, 19, 26	3, 10, 16, 17, 24, 31

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक  
2022

/ 2022

हरदा, दिनांक 28.04.

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	03, 29
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 21, 22
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	1, 8, 16

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	01, 03, 08, 15, 16, 21, 22, 29

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	मई 2022
01	श्रीमती ज्योति बड़करे, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	01, 03, 08, 15, 16, 21, 22, 29

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों

से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक

/ 2022

हरदा, दिनांक 31.03.2022

### // विविध आदेश //

मैं, के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अप्रैल 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	02, 03, 10
02.	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	14, 15, 16
03.	श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, जे.एम.एफ.सी., हरदा	17, 24

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अप्रैल 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	02, 03, 10, 14, 15, 16, 17, 24

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अप्रैल 2022
01	श्रीमती ज्योति मरावी, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	02, 03, 10, 14, 15, 16, 17, 24

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन

करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(के० के० वर्मा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म०प्र०)



## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक

/ 2022

हरदा, दिनांक 27.01.2022

### // विविध आदेश //

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दायित्व कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	फरवरी 2022	मार्च 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	—	18, 19, 20, 27
02.	श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी., हरदा	19, 20	01, 13
03.	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी., हरदा	06, 13, 27	06, 17
04.	श्रीमती कीर्ति शुक्ला, जे.एम.एफ.सी., हरदा	—	—

नोट:- फरवरी 2022 में उक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई आकस्मिक अवकाश घोषित होगा तो उक्त अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, जे.एम.एफ.सी. हरदा तथा मार्च 2022 में उक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई आकस्मिक अवकाश घोषित होगा तो उक्त अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी. हरदा द्वारा निष्पादित की जावेगी।

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	फरवरी 2022	मार्च 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	06, 13, 19, 20, 27	01, 06, 13, 17, 18, 19, 20, 27

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	फरवरी 2022	मार्च 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी.,	—	—

	टिहरनी		
02	श्रीढती ज्योती ढरावी, जे.एढ.एफ.सी., टिहरनी	06, 13, 19, 20, 27	01, 06, 13, 17, 18, 19, 20, 27

01. ढाननीढ ढ0ढ्र0 उच्च न्यायालय जबलढुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिढाण्ड ड्यूटी वाले ढजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक ढजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिढाण्ड ड्यूटी सढ्पादित करेंगे।
02. न्यायिक ढजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिढाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से ढालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक ढजिस्ट्रेट रिढाण्ड ड्यूटी करने में असढर्थ है और तिथि में ढरिवर्तन करना हो तो आपस में सढायोजन कर तथा ढदस्थ न्यायिक ढजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से ढूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुढति ढ्राप्त करने के ढश्चात् ही रिढाण्ड ड्यूटी ढरिवर्तित कर सकेंगे तथा ढुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंढित ढीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिढाण्ड ड्यूटी के सढय आवश्यक रूप से ढीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(ढंकज जायसवाल)  
ढुख्य न्यायिक ढजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (ढ0ढ्र0)

ढृष्ठांकन क्रढांक

/2022

हरदा, दिनांक .....

ढ्रतिलिढि :-

1. ढाननीढ ढ्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढहोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. ढुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. सढस्त न्यायिक ढजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिहरनी की ओर सूचनार्थ ढ्रेषित।
4. जिला अढिढाषक संघ, की ओर सूचनार्थ ढ्रेषित।
5. जिला लोक अढियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिहरनी की ओर इस निर्देश सहित ढ्रेषित है कि वह रिढाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साढ-सढाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिढिक हरदा की ओर सूचनार्थ ढ्रेषित।
8. जूनीयर सिस्टढ एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ ढ्रेषित।

(ढंकज जायसवाल)  
ढुख्य न्यायिक ढजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (ढ0ढ्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक 20.12.2021

### // विविध आदेश //

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दायिद्वक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2022
01.	श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	26, 30
02.	श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी., हरदा	01, 02, 23
03.	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी., हरदा	15, 16, 09
04.	श्रीमती कीर्ति शुक्ला, जे.एम.एफ.सी., हरदा	—

नोट:- जनवरी 2022 में उक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई आकस्मिक अवकाश घोषित होगा तो उक्त अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी श्री एस.के. भदकारिया जे.एम.एफ.सी. हरदा द्वारा निस्पादित की जावेगी।

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2022
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	01, 02, 09, 15, 16, 23, 26, 30

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जनवरी 2022
01	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	01, 02, 09, 15, 16, 23, 26, 30
02	श्रीमती ज्योति मरावी, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	—

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

**न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)**

क्रमांक

/ 2021

हरदा, दिनांक 20.12.2021

**// संशोधित विविध आदेश //**

दिनांक 26.12.2021 को श्रीमती रचना अतुलकर जोशी की रिमाण्ड ड्यूटी है, परंतु कर्मचारी भर्ती परीक्षा में ड्यूटी होने के कारण दिनांक 26.12.2021 की रिमाण्ड ड्यूटी श्रीमती सोनाली शर्मा द्वारा सम्पादित की जावेगी।

सही / -

**(पंकज जायसवाल)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक

/ 2021

हरदा, दिनांक 01.12.2021

### // संशोधित विविध आदेश //

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2021
01	श्री एस0के0 भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	18, 19
02	श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी., हरदा	05, 12
03	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी., हरदा	25, 26
04	श्रीमती कीर्ति शुक्ला, जे.एम.एफ.सी., हरदा	—

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही / -

(पंकज जायसवाल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा ।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे ।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक 29.11.2021

### // विविध आदेश //

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2021
01	श्री एस0के0 भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	18, 19
02	श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी., हरदा	05, 12
03	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी., हरदा	25, 26
04	श्रीमती कीर्ति शुक्ला, जे.एम.एफ.सी., हरदा	—

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2021
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	05, 12, 18, 19, 25, 26

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिसम्बर 2021
01	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	05, 12, 18, 19, 25, 26
02	श्रीमती ज्योति मरावी, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	—



01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

## न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)

क्रमांक

/ 2021

हरदा, दिनांक 28.08.2021

### // विविध आदेश //

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :-

### मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	सितम्बर 2021	अक्टूबर 2021	नवंबर 2021
01	श्री एस0के0 भदकारिया जे.एम.एफ.सी., हरदा	26	17, 18, 19	14, 21, 28
02	श्रीमती सोनाली गार्गव, जे.एम.एफ.सी., हरदा	05	13, 24, 31	02, 03, 04, 19
03	श्रीमती रचना अतुलकर, जे.एम.एफ.सी., हरदा	10, 12	14, 15, 16	05, 06, 07, 20
04	श्रीमती कीर्ति शुक्ला, जे.एम.एफ.सी., हरदा	18, 19	02, 03, 06, 10	—

### तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	सितम्बर 2021	अक्टूबर 2021	नवंबर 2021
01	श्रीमती कला भम्मरकर, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	05, 10, 12, 18, 19, 26	02, 03, 06, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31	02, 03, 04, 05, 06, 07, 14, 19, 20, 21, 28

### तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	सितम्बर 2021	अक्टूबर 2021	नवंबर 2021
01	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	05, 10, 12, 18, 19, 26	02, 03, 06, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31	02, 03, 04, 05, 06, 07, 14, 19, 20, 21, 28
02	श्रीमती ज्योति मरावी, जे.एम.एफ.सी., टिमरनी	—	—	—

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर हरदा सितम्बर में एस0के0 भदकारिया, अक्टूबर में सोनाली गार्गव एवं नवंबर में रचना अतुलकर तथा खिरकिया, टिमरनी में सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर 2021 में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
03. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

सही /—  
(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

/2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज जायसवाल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

**न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)**

क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक 14.09.2021

**// संशोधित विविध आदेश //**

मैं, पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक द्राण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु तहसील मुख्यालय खिरकिया एवं टिमरनी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो जिला मुख्यालय हरदा पर रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उनकी रिमाण्ड ड्यूटी भी सम्पादित करेगे :-

सही / -

**(पंकज जायसवाल)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा ।
6. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे ।
7. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

**(पंकज जायसवाल)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

**न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा (म0प्र0)**

क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक 15.09.2021

**// विविध आदेश //**

जिला मुख्यालय हरदा पर दिनांक 18.09.2021 एवं 19.09.2021 के सार्वजनिक अवकाश में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मुख्यालय से बाहर होने के कारण दिनांक 18.09.2021 एवं 19.09.2021 की रिमाण्ड ड्यूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा द्वारा सम्पादित की जावेगी।

अतः समस्त स्टाफ को सूचित किया जाता है कि रिमाण्ड ड्यूटी **दोपहर 03:00 से सायं काल 05:00 बजे** के मध्य न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

सही / -

**(पंकज जायसवाल)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक / 2021

हरदा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. नाजिर हरदा की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ-सफाई करावे।

**(पंकज जायसवाल)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा  
जिला हरदा (म0प्र0)